INDIA NON JUDICIAL

५००रु. R.500

भारत

पांच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

श्री

भूमि का बिक्रीखात किंमत रूपये 16,582=50 पैसे

मनोहरलाल पिता देवीदीन
निवासी 7/1 नोलखा, इन्दौर - - - विक्रेता

गिरधारीलाल पिता जगन्नाथ
निवासी 48, साजन नगर, इन्दौर - - - क्रेता

भूमि का यह बिक्रीखात रूपये देकर लिखवा लेने वाले क्रेता गिरधारीलाल पिता जगन्नाथ निवासी 48, साजन नगर, इन्दौर इन्हो से रूपये लेकर बिक्रीखात लिख देने वाले विक्रेता मनोहरलाल देवीदीन निवासी 7/1, नोलखा, इन्दौर निम्नानुसार विक्रय लिख देता हूं कि :--

उपरोक्त लेख की नकल पेश की

मुझ विक्रेता के मालकी एवं कब्जे की परिवर्तित खाते की भूमि ग्राम कितावद तहसील व जिला इन्दौर में स्थित होकर उक्त भूमि पेकि सर्वे नंबर 205/1 एवं 2 की भूमि में से निम्न वर्णित

अगिरत -- 828 पर

500R

चर्तु:सीमा व क्षेत्रफल की भूमि आप क्रेता को रुपये 16,582=50 पैसे (अक्षरी रुपये सोलह हजार पांच सो बियासी-पचास पैसे) मे विक्री की है ।

बिक्रीशुदा भूमि का क्षेत्रफल :- सर्वे नंबर 205/1 एवं 2 पैकी 6030 स्क्वेयर फिट • प्लाट नं.)

बिक्रीशुदा भूमि की चर्तु:सीमा :-

भूमि के पूर्व दिशा को कैलाश पिता मथुरालाल राजोरिया की खुली भूमि •

भूमि के पश्चिम दिशा को गोपालदास पिता लुवालाल की भूमि •

भूमि के उत्तर दिशा को सरकारी मेनरोड •

भूमि के दक्षिण दिशा को नटराज दाल मिल्स की खुली भूमि •

उपरोक्त वर्णित क्षेत्रफल एवं चर्तु:सीमा का प्लाट (भूमि) आपको विक्रय किया होकर भूमि की पूर्व दिशा की उत्तर दक्षिण लम्बाई 98 फिट व पश्चिम दिशा की उत्तर दक्षिण लंबाई 103 फिट

अविरत —- (3) पर

Marulis

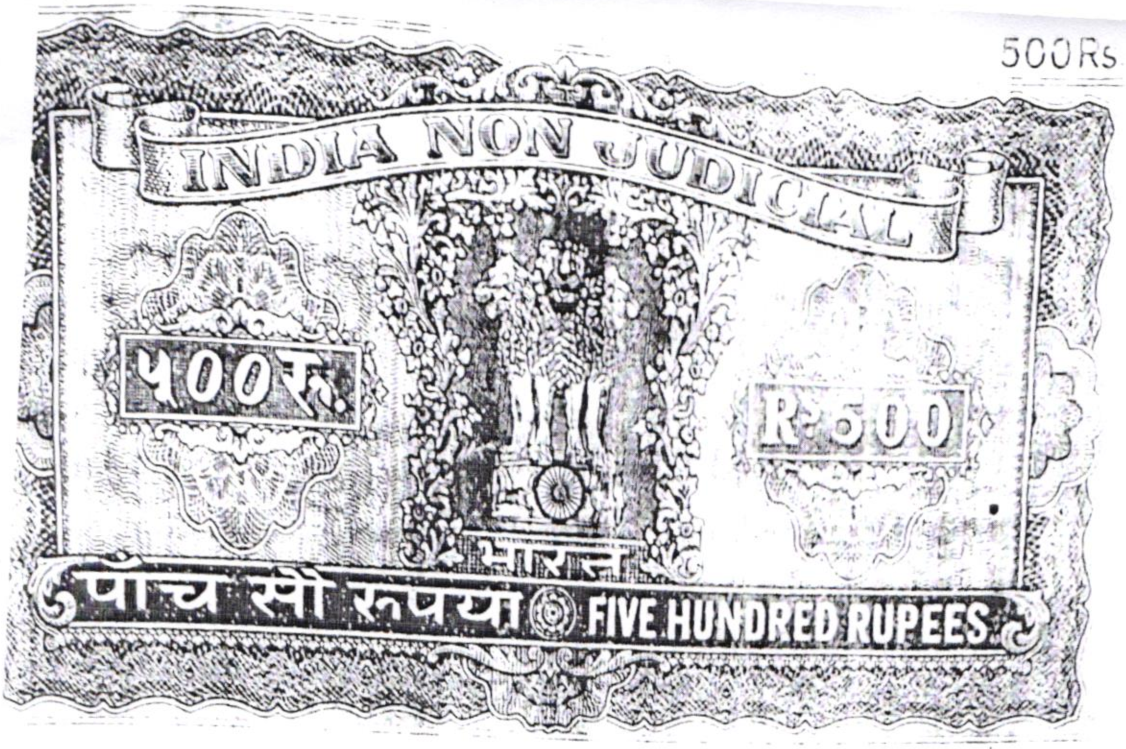

भूमि की पूर्वपश्चिम चौड़ाई 60 फिट है । विक्रय शुदा भूमि का क्षेत्रफल 6030 स्क्वेयर फिट है ।

यह कि, इस विक्रय शुदा भूमि के विक्रय अनुबंध के समय मेरे व्दारा बयाने के रुपये 3,001=00 (अक्षरी रुपये तीन हजार एक) आपसे प्राप्त कर लिये होकर भूमि का आधिपत्य भी आपको दे दिया गया है । शेष रुपये 13,581=50 (अक्षरी रुपये तेरह हजार पांच सो-इक्कायीस - पचास पैसे) आज मुझे रजिस्ट्रार कोर्ट में कोर्ट के समक्ष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार इस भूमि के विक्रय धन के संपूर्ण रुपये 16,582=50 पैसे (सोलह हजार पांच सो बियासी रुपये पचास पैसे) मुझे प्राप्त हो चुके होकर इस विक्रय पेटे आपसे कुछ भी लेना शेष नही रहा है ।

उपरोक्तानुसार वर्णित यह भूमि मेने आप क्रेता को मेरे समस्त स्वत्वों, अधिकारों सहित विक्रय कर दी होकर आप आपकी इच्छानुसार इस भूमि का मालिक नाते उपभोग व उपयोग करने के पूर्ण अधिकारी है । इस विक्रय पत्र व्दारा इस भूमि पर स्थित मेरे समस्त स्वत्व समाप्त हो चुके होकर यह संपूर्ण स्वत्व आप क्रेता में वेष्टित हो चुके है । इस भूमि का मैं एक-मेव मालिक होने से यह भूमि आपको विक्रय करने का मुझे पूर्ण अधिकार होकर मेरे तालिका

अविरत -- (4) पर

रिश्तेदार या अन्य किसी काभी इसभूमि में किसीभी प्रकार का स्वत्व , अधिकार या भार नही है । और यदि मेरे वारिसान व्दारा या अन्य किसी के भी व्दारा इस विक्रय शुदाभूमि के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न किया गया तो उस विवाद को निपटाने की संपूर्ण जवाबदारी मेरी होगी व मैं आपको कोई तोषीस या हा लगने देऊंगा नही ।

सदर भूमि मैने अन्य किसी को गिरवी, बिक्री, बक्षिस या दान आदि नही की है । समस्त भूमि भार रहित होकर भूमि पर किसी का बोझा, कर्ज, या जमानत आदि किसी भी प्रकार का बोझा नही है ।

सदर भूमि के सरकारी कर व अन्य लेना शेष नही है और आज दिन तक के समस्त सरकारी या अन्य कर व अन्य सभी प्रकार के भार की जवाबदारी मेरी होकर मैं उक्त समस्त कर मेरे स्वयं के खर्चे से चुकाऊंगा। भूमि पर आपका नाम दर्ज कराने की समस्त कार्यवाही में आपको पूर्ण सहयोग देऊंगा।

सदर विक्रय शुदा भूमि के संबंध में शहरी भूमि सीलींग के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी इन्दौर से " नो आब्जेक्शन " सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका होकर यह विक्रयपत्र प्रचलित किसी भी प्रावधानों के विपरित नही है । सदर भूमि सिटी इम्प्रुव्हमेन्ट बोर्ड के किसीभी स्कीम के अन्तर्गत नही होकर यदि भविष्य में भूमि को संपादित किया

अविरत -- (5) पर

40 Rs.

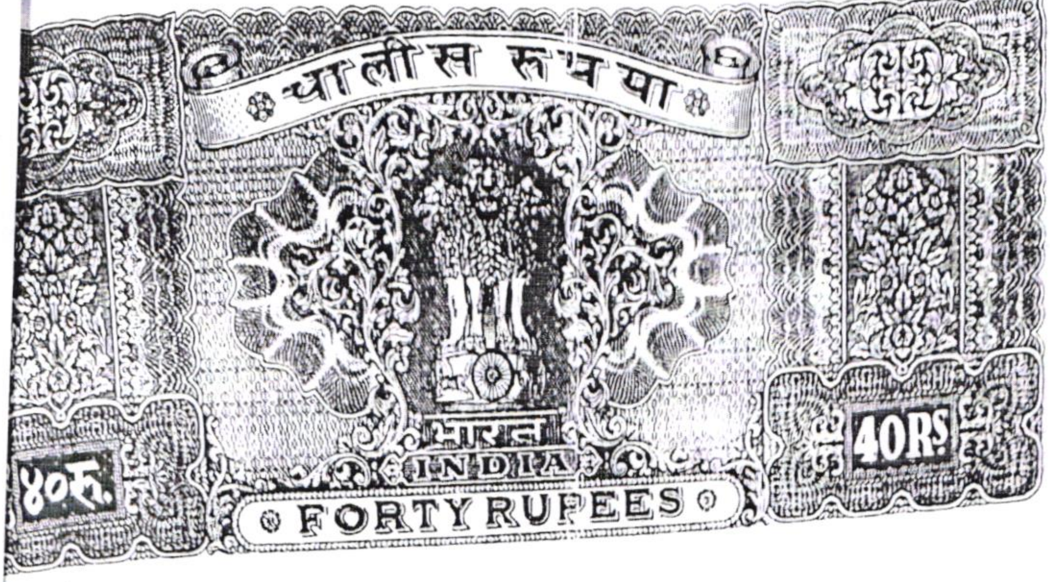

--:5:--

गया तो इस भूमि के बदले प्राप्त होने वाले मुआवजे को प्राप्त करने का अधिकार आप क्रेता का होगा।

यह विक्रय पत्र लेख मैने मेरे राजीखुशी से बिना किसी के दबाव के, होशहवाश में व बगैर नशा पानी करते अच्छी तंदुरुस्त हालत में गवाहों के समक्ष सोच समझकर लिख दिया होकर अपने हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर

इन्दौर,

दिनांक :-- 30-2-[illegible]

[illegible]

गवाहदार :-

(1) [illegible]

(2) [illegible]
पिता [illegible] इन्दौर

मेरे कार्यालय में ड्राफ्ट किया जाकर टाइप कराया गया।

(एडव्होकेट)